

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट्रेक बडीसादडी

श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बडीसादडी

प्रकरण सं. 33/17

वादपत्र धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट.

1- प्रेमदास पिता सीतारामदास वैरागी नि. नरसिंहपुरा तह. बडीसादडी  
-वादी

बनाम

- 1- भंवरदास पिता सीतारामदास वैरागी नि. नरसिंहपुरा तह. बडीसादडी
- 2- गणेशदास पिता सीतारामदास वैरागी नि. नरसिंहपुरा तह. बडीसादडी
- 3- सचिव ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड महुडा
- 4- तहसीलदार बडीसादडी

प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बडीसादडी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है।

भौजा उत्तरवाड़ा की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है -

1- प्रेमदास पिता सीतारामदास वैरागी नि. नरसिंहपुरा मजरा उत्तरवाड़ा

आ.न.	रकबा	लगान
226/2	0.26	4.94
239/2	0.05	0.15
2	0.31	5.05

2- भंवरदास पिता सीतारामदास वैरागी नि. नरसिंहपुरा मजरा उत्तरवाड़ा

आ.न.	रकबा	लगान
226/1	0.27	5.13
239 मी	0.05	0.15
2	0.32	5.28

3- गणेशदास पिता सीतारामदास वैरागी नि. नरसिंहपुरा मजरा उत्तरवाड़ा

आ.न.	रकबा	लगान
226 मी	0.27	5.13
239/1	0.05	0.15
2	0.32	5.28

4- भंवरदास गणेशदास प्रेमदास पिता सीतारामदास वैरागी नि. नरसिंहपुरा मजरा उत्तरवाड़ा


आ.न.	रकबा	लगान
227	0.01	गै.मु.चाह -
2	0.01	+

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.6.2018 को लोक अदालत में सुनाया गया।

मोहर



  
जितेन्द्र कुमार पाण्डे  
आर.ए.एस.  
सहायक कलक्टर बडीसादडी